कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री गर्ग एण्ड कम्पनी, गॉधीपथ, गाजीपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**018 / 11, 10.03.2011**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री गर्ग एण्ड कम्पनी, गॉधीपथ, गाजीपुर द्वारा दिनांक 10.03.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी को उनके कर निर्धारक अधिकारी डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-2, गाजीपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 के वाद में उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-28 (1) (b) (iv) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया है। इसी नोटिस के क्रम में प्रार्थी द्वारा निम्न प्रश्न पूछे गये हैं :-

(i) Whether the 1d. Deputy Commissioner's impugned notice u/s. 28 (1) (b) (iv) for direct crack down for assessment u/s. 28 (2) for interface of the dealer is valid ?

(ii) According to said circular, whether, notice in the said circular is to be issued for interface of the dealer or an appealable order under the said section 28 (1) (b) (iv) ? What is time limit for its service to the dealer ?

(iii) Could the order or notice u/s. 28 (1) (b) (iv) be passed or issued without the prior assessment order passed u/s. 26 in compliance of provision of section 15 (4) read with rule-51 (3) and without service of notice of assessment and demand with that assessment order as per rule-46 ?

(iv) Whether acceptance of total amount of ITC claimed by a dealer in passing the assessment order u/s. 28 (2) without its prior confirmation of deposit to the State government's receipt head of tax receipt as laid down in rule-51 (3) is valid ? Whether the onus of its confirmation of deposit laid upon the AA could be shifted to ledger keeper by directing him for NA by the AA if any adverse information is received ? If so, how and under what provision of the Act ?

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 02.07.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी द्वारा पत्र संख्या-194, दिनांक 27.04.2011 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि कर निर्धारण अधिकारी ने संगत वर्ष में धारा-28 (1) (b) (iv) की नोटिस दिनांक 23.02.2011 जारी करते हुए व्यापारी के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए आदेश दिनांक 24.03.2011 पारित किया। यह वाद नियमित सुनवाई के लिए चिन्हित किया गया है।

...2

इस प्रकार यह मामला कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कर निर्धारण के लिए पेन्डिंग है। ऐसी स्थिति में धारा-59 के सबक्लाज (1) के अन्तर्गत उक्त प्रार्थना-पत्र प्रोषणीय नहीं है एवं स्वीकार्य योग्य नही है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी को उनके कर निर्धारक अधिकारी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-28 (1) (b) (iv) के अन्तर्गत नोटिस संख्या-2418, दिनांक 23.02.2011 जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा पूछा गया प्रश्न जारी नोटिस के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुआ है जो उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में निहित प्राविधानों के अनुसार ग्राह्य नहीं है। अत: ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं होना चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन-प्रथम, वाराणसी द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी के प्रकरण में डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-2, गाजीपुर द्वारा उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-28 (1) (b) (iv) के अन्तर्गत प्रश्नगत वर्ष 2008-09 के लिए नोटिस जारी किया गया है। प्रकरण में नोटिस जारी होने के कारण कर निर्धारक अधिकारी के समक्ष कार्यवाही लम्बित है। अत: उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के प्राविधानों के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकरण लम्बित होने के कारण धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र ग्राह्य न होने के कारण अस्वीकार किया जाता है।

6. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 17 जुलाई, 2014

ह0 / 17.07.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।